संख्या–पी–62 / 14–2–2016–800(81) / 2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

TC
CCF Nodal
30/5/16

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 27 मई 2016

विषयः– बिजनौर में नहटौर–नूरपुर –जोया–अमरोहा मार्ग किमी0 26.400 की दायी पटरी पर ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ के खेसरा संख्या–147 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0751 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया कार्यालय पत्र संख्या–2070 / बिजनौर / 15797 / यूपी–162 / 2015, दिनांक 29–3–2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से बिजनौर में नहटौर–नूरपुर –जोया–अमरोहा मार्ग किमी0 26.400 की दायी पटरी पर ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ के खेसरा संख्या–147 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0751 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में निम्न बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है:–

(1) एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र में यह अंकित होना चाहिये कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में भविष्य में बढ़ोत्तरी होती है, तो उसका भुगतान किया जायेगा।

(2) प्रतिपूरक वनीकरण प्रमाण–पत्र में ओवरराइटिंग की गयी, जिस पर हस्ताक्षर भी नहीं है।

(3) डिजिटल मैप की सी0डी0।

कृपया तद्नुसार सूचना / अभिलेख शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– प्रेगो / 11सी–बिजनौर, दिनांक, लखनऊ, मई 31 , 2016

प्रतिलिपि वन संरक्षक, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि शासन द्वारा इंगित बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना / अभिलेख इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि शासन द्वारा इंगित बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना / अभिलेख वन संरक्षक, मुरादाबाद को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि शासन द्वारा अपेक्षित सूचना / अभिलेख प्रभागीय निदेशक, बिजनौर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

31/5/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

0